## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

## संकल्प

विषय:—नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में विभिन्न कोटि के अभियंताओं के स्वीकृत सभी पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य योजना की स्वीकृति, बुडको के द्वारा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन तथा नगर निकायों द्वारा भी केन्द्रीय योजना, राज्य योजना अथवा आंतरिक ससाधन के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

- 2. नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा संचालित उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 2690 दिनांक 16.05.2018 द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद को सम्पूर्ण रूप से एवं बिहार शहरी विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग (एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विलय करते हुए एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन का गठन विभागीय संकल्प संख्या 2690 दिनांक 16.05.2018 द्वारा किया गया था।
- 3. उपरोक्त संकल्प द्वारा एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में अभियंताओं के पूर्व से सृजित 462 पदों के अतिरिक्त 115 अतिरिक्त पदों का सृजन के साथ कुल 577 पद सृजित किया गया था। इन पदों में एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ के पदों को विभाग के अन्तर्गत रखा गया था एवं शेष सभी पद बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के लिए सृजित किया गया था।
- 4. पुनः विभागीय संकल्प संख्या 5727 दिनांक 06.11.2018 द्वारा एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत 577 पदों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के कार्यों के लिए एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के तहत 316 अतिरिक्त पद सृजित किये गये। इस प्रकार बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में विभिन्न कोटि के अभियंताओं के कुल 872 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कोटि के अभियंताओं के कुल 21 पद सृजित किये गये थे।
- 5. बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में विभिन्न कोटि के अभियंताओं के उक्त सृजित पदों के विरूद्ध नियुक्ति एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति एवं कार्यों के निष्पादन, पर्यवेक्षण में कठिनाई के आलोक में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के विभिन्न कोटि के अभियंताओं के स्वीकृत सभी पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कोटि के अभियंताओं के पद निम्नवत् हो जायेंगे :--

क्र0 सं0	पदनाम	विभाग में पूर्व से स्वीकृत पद	बुडको से विभाग में स्थानान्तरित किये जाने वाले पद	विभाग में कुल पदों की संख्या
1	अभियंता प्रमुख —सह—विशेष सचिव	01	_	01
2	मुख्य अभियंता	_	05	05

3	अधीक्षण अभियंता	03	16	19
ĺ	(असैनिक)			
4	अधीक्षण अभियंता	<del>-</del>	01	01
	(यांत्रिक)			
5	कार्यपालक अभियंता	05	65	70
	(असैनिक)			
6	कार्यपालक अभियंता		04	04
	(यात्रिंक)			
7	कार्यपालक अभियंता	_	10	10
'	(विद्युत)			
9	सहायक अभियंता	12	181	193
	(असैनिक)			
	सहायक अभियंता	_	61	61
	(यात्रिंक)			
10	सहायक अभियंता		02	02
	(विद्युत)			
44	कनीय अभियंता		429	429
11	(असैनिक)			
	कनीय अभियंता		46	46
12	(यात्रिंक)			
	कनीय अभियंता		42	42
13				
	(विद्युत) सहायक टाउँन प्लानर		10	10
14	सहायक टाउन प्लानर	_		
	कुल पद	21	872	893

6. इस प्रकार बिहार शहरी आधाभूत संरचना निगम लिमिटेड के अन्तर्गत कुल शेष 872 पद भी नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो गये, परन्तु बुडको में पूर्व से स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में संविदा पर नियोजित विभिन्न स्तर के अभियंता, संविदा समाप्ति अथवा नियमित नियुक्ति होने तक बुडको में ही धारित पदों पर बने रहेंगे और जैसे—जैसे संविदा समाप्ति होगी, वैसे—वैसे वे पद भी बुडको से समाप्त होकर नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत समाहित होते जाएंगे, किन्तु गैर तकनीकी सभी कमीं बुडको के अंतर्गत ही रहेंगे। संविदा पर कार्यरत अभियंताओं / कर्मियों पर उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प / अधिसूचना लागू होगा।

7. एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक अन्य कार्य विभागों यथा—पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं निगम व बोर्ड से नये सृजित पदों पर प्रतिनियुक्त अथवा सेवानिवृत्त सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0—10000 दिनांक—10.07.15 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, मानदंड एवं सेवाशर्त के आलोक में संविदा के आधार पर सेवायें प्राप्त की जायेगी।

8. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक—13.09.2019 के मद सं0—15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

9. सभी कोटि के अभियंताओं के पदों का स्थानान्तरण दिनांक—25.09.2019 को प्रभावी होगा। आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक—01/स्था0 (विविध)—23/2019—..../995..../न०वि०आ०वि०,पटना/दिनांक—/१/9/9/9/प्रितिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई—गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान संचिव।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0 (विविध)-23/2019- 19995 / न०वि०आ०वि०,पटना/दिनांक- / १८/१/९ प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 13.09.2019 की बैठक में मद संख्या 15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।